

Business of the House

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I have a point of order.

HON. CHAIRPERSON: Under what Rule do you want to raise a point of order?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I want to raise a point of order under Rule 220 at page no.84 in Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. Rule 220 clearly states :

?Notwithstanding that a day has been allotted for financial business under rules 207, 208, 218 or 219, a motion or motions for leave to introduce a Bill or Bills may be made and a Bill or Bills may be introduced on such day before the House enters on the business for which the day has been allotted.?

सर, आज का दिन बजट पर चर्चा के लिए एलोकेट हुआ था, लेकिन बीच में आप दूसरा विधेयक ला रहे हैं । इसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन चर्चा के लिए ले आना नियमों के बाहर होता है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति: नहीं, नहीं । पहले भी ऐसा हुआ है ।

? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, पहले क्या हुआ है, यह पता नहीं, लेकिन हम आज की तारीख में बात कर रहे हैं ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति: देखिए, संसद नियम से भी चलती है और परंपरा से भी चलती है । आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं । You should understand this. पहले भी इस प्रकार से हुआ है ।

? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, यह ठीक है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी ।

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.13 hrs